

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
लोक अदालत कैम्प कोर्ट लुहारिया तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:-श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-141/2012 राजस्व वाद


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री नारू पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल  
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

- 1-श्री साबीर खॉ पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 2-श्री गुड्डु खॉ पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 3-श्रीमति हलीमा बेवा याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 4-श्री हनीफ खॉ पिता दूला खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 5-श्री छोटे खॉ पिता दुला खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 6-श्री सलीम पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 7-श्री मोहम्मद रफीक पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 8-श्री बल्लू उर्फ मुस्कीन पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 9-श्री शौकत पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 10-श्री लियाकत पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 11-खेरून पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 12-कमरूननिशा बेवा निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 13-बिलकुश बेवा निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 14-श्री सुलेमान पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल
- 15-श्री नारू पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 16-श्री हकीम पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल
- 17-श्री आजाद पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तह. मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 18-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा -----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी  
संख्या 1 से 17 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के  
आज दिनांक 10.7.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर  
आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा



खर्चें लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज की जावें।

1-श्री नारु पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग निवासी लुहारिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
2273 / 1	07 बिस्वा	-
कुल किता 1 रकबा	07 बिस्वा लगान	-

2-श्री साबीर खॉ पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री गुड्डे खॉ पिता याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्रीमति हलीमा बेवा याकूब खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री हनीफ खॉ पिता दूला खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री छोटे खॉ पिता दुला खॉ मुसलमान, उम्र बालिग 2/3 हिस्सा, श्री सलीम पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, श्री मोहम्मद रफीक पिता निजामुद्दीन मुसलमान, श्री बल्लू उर्फ मुस्कीन पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, श्री शौकत पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, श्री लियाकत पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, खेरून पिता निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, कमरूननिशा बेवा निजामुद्दीन मुसलमान, उम्र बालिग, 1/15 हिस्सा, श्री सुलेमान पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री नारु पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री हकीम पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, श्री आजाद पिता गुल खॉ मुसलमान, उम्र बालिग, 4/15 हिस्सा निवासीयान लुहारिया तह. मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादीगण के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
2273	4 बीघा	03 बिस्वा
कुल किता 1 रकबा	4 बीघा	03 बिस्वा लगान

बी.आर.जी.बी. हिस्सा आजाद पिता गुल खॉ दर्ज रहेगा।



उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार राजस्व कार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।



( सी.एल.शर्मा )

आर०ए०एस०

**उपखण्ड अधिकारी**

मांडवा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 10.7..2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी



**उपखण्ड अधिकारी**

मांडवा जिला भीलवाड़ा

